फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती चान्दी बाई | यनाम | विपक्षी : श्री उंकारलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या : 54/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 9 पूर्व पेशी पर उपस्थित परन्तु आज अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 9 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 9 के जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 78 रकबा 0.2000 है. भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं। उक्त भूमि के पूर्व दिशा के पडौस में विपक्षीगण की आराजी न. 109, 110, 111, 112 एवं दक्षिण दिशा में आराजी न. 77 एवं पश्चिम दिशा में प्रार्थी की स्वयं की आराजी न. 79, 80 हैं एवं उत्तर दिशा में प्रार्थी की कब्जे सुदा आराजी न. 106 स्थित हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के बीच प्रार्थनाग्रस्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद रहता हैं जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया व विपक्षी की भूमि के बीच में पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं से व विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डोडीयों का खेडा पटवार हल्का केदारिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 35 की आराजी न. 78 रकबा 0.2000 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीया अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:54:06 IST
Reason: SelfAttested